

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2304

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

2304. श्रीमती रुचि वीरा:

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

सुश्री इकरा चौधरी:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

श्री देवेश शाक्य:

श्री लालजी वर्मा:

श्री नीरज मौर्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश सहित देश में निष्क्रिय पड़े हुए प्रधानमंत्री जन-धन खातों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या शून्य शेष वाले खातों की स्वीकृति के बावजूद उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में बैंकों द्वारा विभिन्न छिपे हुए प्रभारों के नाम पर कटौती किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिससे उक्त योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कैराना, जौनपुर, एटा, अंबेडकर नगर, आंवला, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दुर्घटना बीमा दावों के लिए आवेदन करने वाले रुपये कार्डधारकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) दुर्घटना की तिथि से पिछले 90 दिनों के भीतर कार्ड से कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन न होने के कारण स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बचत और एक चालू खाते को निष्क्रिय/सुप्त माना जाता है, यदि खाते में दो साल से अधिक की अवधि के लिए कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है। बैंक खाते को सक्रिय रखने के लाभों सहित बैंकिंग आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिविरों का आयोजन करके सक्रिय खातों के प्रतिशत की निगरानी के लिए लगातार ठोस प्रयास करते हैं।

उत्तर प्रदेश सहित देश में निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 15,31,94,561 है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी है

- उन खातों/जमाओं की नियमित समीक्षा करना जहां एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं हुआ है; तथा
- इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाना।

बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुगम और परेशानी मुक्त बनाएं, जिसमें गैर-घरेलू शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) को निर्बाध रूप से अद्यतन करने जैसे उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार समय-समय पर वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने तथा खातों को पुनः सक्रिय करने सहित अभियानों की शुरुआत करती है।

पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों में कोई आरंभिक शुल्क नहीं है और कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न छिपे हुए शुल्कों के नाम पर बैंकों द्वारा कटौती के बारे में शिकायतों से संबंधित डेटा का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

दुर्घटना बीमा दावों को दाखिल करने वाले रुपये कार्डधारकों की संख्या का डेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर पर केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालांकि, दुर्घटना की तारीख से पहले पिछले 90 दिनों के भीतर रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करके कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश में अस्वीकार किए गए दावों की संख्या निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश	वित्तवर्ष 2021-22	वित्तवर्ष 2022-23	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2024-25	वित्तवर्ष 2025-26
खारिज किए गए दावे	2	1	2	1	3
